

छत्तीसगढ़ शासन

श्रम विभाग

दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय

69

// अधिसूचना //

—00—

रायपुर, दिनांक: ३०/०१/२०१२

क्रमांक एफ १०-१/२०१२/१६:- छ०ग० औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९६० की धारा ९६ में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए छ०ग० औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९६० की धारा ६३ (बी) में उल्लेखित अनुसूची २-ए के क्रमांक २० पर निम्नांकित अधिनियम राज्य शासन एतद्वारा अन्तः स्थापित करती है -

२०. छ०ग० श्रम कल्याण निधि अधिनियम १९८२

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

Kabir
(के.जी. कुंजाम)
उप सचिव,

छ०ग० छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग,
रायपुर, दिनांक: ३०/०१/२०१२

पृ०क्रमांक एफ १०-१/२०१२/१६,
प्रतिलिपि:-

१. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर, (छ०ग०),
२. स्टाफ आफीसर, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर, (छ०ग०),
३. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, रायपुर(छ०ग०),
४. सहायक श्रमायुक्त, सहायक श्रमायुक्त कार्यालय,(छ०ग०),
५. उप संचालक, / सहायक संचालक / औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, रायपुर(छ०ग०),
६. श्रम पदाधिकारी, श्रम पदाधिकारी कार्यालय,(छ०ग०),
७. पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय(छ०ग०),
८. अध्यक्ष, छ०ग० श्रम कल्याण मंडल, रायपुर(छ०ग०),
९. कल्याण आयुक्त, छ०ग० श्रम कल्याण मंडल, रायपुर(छ०ग०),
१०. अध्यक्ष, छ०ग० भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर(छ०ग०),
११. सचिव, छ०ग० भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर (छ०ग०),
१२. उपसंचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड, राजनांदगांव (छ०ग०), की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशित किए जाने हेतु सूचनार्थ प्रेषित। कृपया राजपत्र की १०० प्रतियां इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Kabir
उप सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग,

